(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेखं संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

No

Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.346 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Mahasu Devta Thana Link Motor Road(1-775Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Thana village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the (a) FRA has been carried out for the entire 0.346 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as (b) required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; \
- The proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups (c) and Pre-agricultural communities.

As above. Eucl:-

(Full name and official seal of the District Collector)

(Ravi Math Raman) D. M IAS Dehrassun.

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate

No

Dated 27.02.2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.346 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Mahasu Devta Thana Link Motor Road(1.775 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Thana village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>0.346</u> hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Chichrad villages(s) is enclosed as annexure..... To annexure......
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

Signature (Rav) Nath Raman (As)

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी देहरादून

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Dehrabun

Dated: 27:02-2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee (Rayi Nath Raman I AS)

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या-789/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में महासू देवता थैना तक लिंक तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।कि0मी० 1 से 1.775 तक

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय पर संशोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एंव वनमत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09/98–FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 27/2/15 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जिला देहरादून उत्तराखण्ड ग्राम थैना समपर्क मोटर मार्ग हेतु 0.343हैं0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित .3.6... वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ०ख०,लो०नि०वि० सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6(1) के अनुसार थैना ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनॉक को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक 26.2.2015

को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भूमि में चिन्हत भु—भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाम्त की

गयी ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी

र्देहरादून सदस्य सचिव प्रमाणीय वनीधिकरि रा क्रियक यन प्रभाग चेकराता

क्रमातारवन प्रभाग चेकराता

जिलाधिकारी हें हरादून

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम

मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संखया—789/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में महासू देवता थैना तक लिंक मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कि0मी0 1 से 1.775 कि0मी0 तक।

कार्यालय उए जिलाधिकारी, कालसी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2008 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी

उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम महासू देवता थैना तक लिंक मोटर मार्ग (0.000हे0 आरक्षित वन भूमि, <u>0.346....</u> हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, <u>०..०००.</u> हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल १:34.6 हे० वन भूमि) का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियमः, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कालसी) की दिनांक 20.2.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुरूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक कुमार पाण्ड, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में साननीय सदस्यों की उपस्थिति

निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री अशोक कुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
कालसी श्री जी०सी० मार्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	क्यानीय वताविका
चकराता श्री मिट्ठन लाल सहायक समाज कल्याण	सदस्य/सचिव	On Remedi
अधिकारी श्री भीम लाल बीoडीoसीo	सदस्य	3rm)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम महासू देवता थैना तक लिंक मोटर मार्ग परियोजना हेतु %.34.6 है० वन भूमि लोoनिoविo प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लिम्बत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम महासू देवता थैना तक लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु • 34 र्. हे० वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- कालसी उज्जनपद- गहें इंसर्जूनी

प्रतिलिपि: - जिलाधिकारी, देहरादून. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सिर्

उप जिलाधिकार / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील— कालसी जनपद— देहरादून

उप ।जलानिकारी

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम

मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संखया—789/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में महासू देवता थैना तक लिंक मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कि0मी0 1 से 1.775 कि0मी0 तक।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापितत प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम थैना तहसील कालसी, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अर्न्तगत महासू देवता थैना तक लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (.०.००० हे० आरक्षित वन भूमि, ०.३.५.६. हे० सिविल एवं सोयम भूमि, ०.००० हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ०.३.५६ हे० वन भूमि) का लोठनिठिवठ विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थैना द्वारा दिनांक 151-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थैना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित्त नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव मुहर सहित

गाम पंचायत विकास अधिकाची ग्राम पंचायत अधिकाची विकास खण्ड- अभाजारकी जिला-देहराहुन प्राम प्रधान/सरपंच मूहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 15-1-2015को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत थैना

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सर्वर्श- स्वयाम विह	Jerio 1
2	की - महन विह	माहनसिंह तामर
3	11 - अभर विह	अभियसह
4	n - अग्रामिक सिंह	12 Tour
5	n - 2951109 FAE	रवजीनीकी
6	» - 2727/HE	भरत सिंह
7	" - 21/2) WIEN HE	Som as a micro char
8	7 - मेन सिंह	रीन मिट
9	11 - 1938101129	Verts 0
10	स्क्रीत-स्मित्रादिन (सरस्य ग्राठके सेना)	सावता देवी
11	11 - 49/31/ (" ")	सीमा तोमर
.12	n - 21-113A (" ")	2ीना देवी
13	" - विनीता (" ")	विमाता
14	11 - 34139	उभा द्वी
15	ef - 42011112	250015
16	n- F-0-44184	

ग्राम प्रधान कार्य